संख्या:18/2021/768/12-2-2021-बजट-2/2010 टी0सी0

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2021

विषय: अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103 बीज-04-आधारिक बीज भण्डार में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0-1965-जी/4401-बजट/2020-21 दिनांक 03 मार्च, 2021 तथा शासनादेश संख्या: 48/2020/1940/12-2-2020-बजट.2/2010 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020, शासनादेश संख्या: 01/2021/07/12-2-2021-बजट.2/2010 दिनांक 01 जनवरी, 2021 तथा शासनादेश संख्या: 10/2021/340/12-2-2021-बजट.2/2010 दिनांक 09 फरवरी, 2021 के क्रम में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/ बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय तथा 0403-कपास एवं बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित) योजनान्तर्गत रूपये 2535.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री एवं क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) इन बीजों की बिक्री के पश्चात प्राप्त धनराशि का नियमानुसार राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:18/2021/768(1)/12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/ गार्ड फाईल।

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश् संख्या: 18/2021/768/12-2-2021-बजट.2/2010 टी0सी0 दिनांक 19 मार्च, 2021
का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना/मानक मद	वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में निर्गत की जा चुकी धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	26000.00	23500.00	2500.00
0403-कपास और बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित) 42-अन्य व्यय 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	125.00 10.00	00.00 00.00	25.00 10.00
योग:	26135.00	23500.00	2535.00

(रूपये पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।